



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर, केम्प इन्दौर

102

मा - 369 - PBR-16

पदमसिंह पिता पॉचूलाल कलौता

निवासी :- ग्राम सगडोद, तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

---- प्रार्थी/रिविजनकर्ता

विरुद्ध

1. सोरमबाई पिता छोगालाल बलाई

2. सुगनाबाई पिता छोगालाल बलाई

समस्त निवासीगण :- सगडोद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

3. श्रीतानबाई पिता अम्बाराम बलाई

निवासी :- चित्तोड़ा, तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

4. हन्जाबाई पिता अम्बाराम (मृतक) तर्फे वारिसगण

अ. भेरुलाल पिता बृजलाल

निवासी पेमलपुर तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

ब. सरजूबाई पति मानसिंह

निवासी :- ग्राम अमोलिया तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

छार

धार (म.प.)

छार

धार (म.प.)

---- प्रतिप्रार्थीगण

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

रा.रा. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय देपालपुर के
न्यायालय के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक
19/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक
24/11/2015 से असंतुष्ट होकर रिविजनकर्ता अंदर म्याद
न्यायार्थ रिविजन प्रस्तुत करता है।

20/11/16
M.J.V.

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 369-पीबीआर/2016 जिला इंदौर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> </p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	